



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102026-277368
CG-DL-E-23102026-277368

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 22, 2026/आश्विन 30, 1948

No. 65]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2026/ASVINA 30, 1948

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(पोषण प्रशासन प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2026

फा. सं. एनए-29/26/2015-पोषण प्रशासन.—माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 4230/2016 के संबंध में 29.01.2025 को दिए गए निर्णय; जिसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 7435/2026 के संबंध में 03.07.2026 के अपने निर्णय के जरिए यथास्थिति रखी गयी थी; और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 18.09.2026 को 'विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 31483/2026' को खारिज किए जाने के बाद और उपर्युक्त आदेशों का पालन करते हुए, यह आदेश जारी किया जा रहा है। इसके तहत डॉ. जय सिंह (सेवानिवृत्त) - जो मूल रूप से उप तकनीकी सलाहकार थे - को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड में संयुक्त तकनीकी सलाहकार (समूह 'क', राजपत्रित) के पद पर नियमित पदोन्नति दी जाती है। यह नियुक्ति 10.01.2007 (पूर्वाह्न) से प्रभावी मानी जाएगी।

संयुक्त तकनीकी सलाहकार के पद पर उनके पूर्व-प्रभावी नियमित पदोन्नति के परिणामस्वरूप, डॉ. जय सिंह द्वारा 01.10.2007 से 31.10.2008 (सेवा-निवृत्ति की तिथि) तक तकनीकी सलाहकार के उच्च पद के पूर्ण अतिरिक्त प्रभार को नियमित करने का आदेश जारी किया जा रहा है। इसके तहत, उन्हें मौलिक नियम 49(i) के प्रावधानों के अनुसार तकनीकी

सलाहकार के पूर्ण वेतनमान (बिना किसी कटौती के) पाने का अधिकार होगा, और इस पर मौलिक नियम 35 के अंतर्गत वेतन की कोई अधिकतम सीमा या प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

डॉ. जय सिंह के मामले में माननीय न्यायालयों/न्यायाधिकरण के विशिष्ट निर्देशों के कार्यान्वयन में, उन्हें 'संयुक्त तकनीकी सलाहकार' के पद पर पूर्व प्रभावी तारीख से नियमित पदोन्नति दी जाती है और 'तकनीकी सलाहकार' का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए एफआर 49(i) के तहत वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं। ये लाभ इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केवल डॉ. जय सिंह को व्यक्तिगत रूप से दिए जाते हैं और इन्हें किसी अन्य अधिकारी या मामले के लिए न तो मिसाल के रूप में पेश किया जा सकता है और न ही इनका कोई व्यापक अनुप्रयोग होगा।

वेतन का औपचारिक पुनः निर्धारण, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में संशोधन, संशोधित मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (डीसीआरजी), संशोधित अवकाश नकदीकरण और न्यायालय के आदेशानुसार ब्याज सहित सभी बकाया राशियों का भुगतान, इस संबंध में जारी किए जाने वाले अलग-अलग प्रशासनिक आदेशों के अनुसार से किया जाएगा।

करलिन खोंगवार देशमुख, अपर सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(Nutrition Administration Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2026

F. No. NA-29/26/2015-NUTRITION ADMN.—In pursuance of the judgment dated 29.01.2025 passed by the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 4230/2016, upheld by the Hon'ble High Court of Delhi vide judgment dated 03.07.2026 in W.P.(C) No. 7435/2026, and following the dismissal of Special Leave Petition (Civil) No. 31483/2026 by the Hon'ble Supreme Court of India on 18.09.2026, and in compliance with the above orders, this order is being issued to appoint Dr. Jai Singh (retired), substantive Deputy Technical Advisor, on a regular promotion to the post of Joint Technical Advisor (JTA) (Group 'A', Gazetted) in the Food and Nutrition Board, Ministry of Women and Child Development, retrospectively with effect from 10.01.2007 (forenoon).

Consequent upon his retrospective regular promotion to the grade of Joint Technical Advisor, the order is being issued to regularize the full additional charge of the higher post of Technical Advisor (TA) held by Dr. Jai Singh for the period from 01.10.2007 to 31.10.2008 (date of superannuation) with entitlement to the unreduced pay scale of Technical Advisor under the provisions of Fundamental Rule 49(i), without the application of any pay ceiling or restriction under Fundamental Rule 35.

The retrospective regular promotion to the grade of Joint Technical Advisor and the financial benefits under FR 49(i) for the additional charge of Technical Advisor are granted strictly in implementation of the specific directions of the Hon'ble Courts/Tribunal in the case of Dr. Jai Singh. These benefits are granted strictly *in personam* to Dr. Jai Singh, having regard to the specific facts of this case, and shall not be cited as a precedent or have any wider application in respect of any other officer or case.

The formal pay re-fixation, revision of Pension Payment Order (PPO), revised Death-cum-Retirement Gratuity (DCRG), revised Leave Encashment, and release of all consequential arrears along with the court-mandated interest shall be regulated through separate administrative orders issued in this behalf.

CARALYN KHONGWAR DESHMUKH, Addl. Secy.